बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक- 25.2.2026

सं0सं0-10/स्था0(मु0)-20/2024-1157/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन समाज कल्याण निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**- (1) यह नियमावली **"समाज कल्याण निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2026"** कही जा सकेगी।

   (2) यह नियमावली राज्य के समाज कल्याण विभाग के अधीन समाज कल्याण निदेशालय एवं इसके अधीनस्थ संचालित कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू होगी।

   (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

   (i) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन समाज कल्याण निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय संवर्ग;
   (ii) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
   (iii) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय;
   (iv) **"संवर्ग नियंत्री प्राधिकार"** से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय;
   (v) **"विभाग"** से अभिप्रेत है समाज कल्याण विभाग;
   (vi) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
   (vii) **"नियत तिथि"** से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;
   (viii) **"सीधी भर्ती"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;
   (ix) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है कार्यालय लिपिक संवर्ग में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति;
   (x) **"गृह"** से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं इसके संगत नियमावली तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा संचालित गृह एवं मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना अंतर्गत संचालित वृहद् आश्रय गृह
   (xi) **"वर्ष" से** अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात 01 ली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक
   (xii) **"केन्द्रीय परीक्षा समिति"** से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिये विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु राजस्व पर्षद, बिहार के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय परीक्षा समिति;
   (xiii) **"बिपार्ड"** से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (संगठन), नियमावली, 2005 के तहत संचालित "बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)";

3. **सेवा/संवर्ग का गठन।**– (1) यह संवर्ग समाज कल्याण निदेशालय के प्रशासी नियंत्रण में एक राज्यस्तरीय संवर्ग होगा। इस संवर्ग में निम्नांकित कोटि के पद होंगे।–

क्र0	कोटि का नाम	स्तर
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि (अराजपत्रित)
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रोन्नति का प्रथम स्तर (अराजपत्रित)
3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)
4	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)

(2) उक्त पदों का वेतनमान एवं स्वीकृत बल वही होगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

(3) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वत: इस संवर्ग में समकक्ष पद पर सम्मिलित समझे जाएँगे।

(4) नियत तिथि से पूर्व लेखापाल-सह-भंडारपाल, गृहपति-सह-लिपिक एवं बेंच क्लर्क के पद पर कार्यरत कर्मी नियत तिथि को लिपिकीय संवर्ग में समकक्ष वेतनमान के पद पर स्वत: समंजित/समाहित समझे जायेंगे।

4. **आरक्षण।**–सेवा एवं संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

5. **नियुक्ति का स्रोत।–**

(i) संवर्ग के पदों की मूल कोटि (निम्न वर्गीय लिपिक) के अधिकृत बल का 85% (पचासी प्रतिशत) पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा और ऐसी भर्ती लिखित परीक्षा पर आधारित आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

(ii) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 01 ली अप्रैल को रिक्तियों की गणना कर 30 अप्रैल तक आयोग को आरक्षण कोटिवार अधियाचना भेजेगा।

(iii) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम से अभ्यर्थियों के नाम की आरक्षण कोटिवार अनुशंसा करेगा।

(iv) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को इस संवर्ग में समान पद पर नियमित नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग को दिशा-निदेशों के अनुसार अंकों की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।

(v) सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जाएगी।

(vi) कुल सृजित पद का शेष 15% (पन्द्रह प्रतिशत) पद, समाज कल्याण निदेशालय के नियमित स्थापना में कार्यरत इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (समूह 'घ') से वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा भेजे जायेंगे।

परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को प्रोन्नति एवं प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तबतक देय नहीं होगी जबतक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी

टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

(vii) अधिकृत बल का 10% (दस प्रतिशत) तक पद बिहार राज्य के राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा भरे जाएँगे। राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली" के अंतर्गत निहित प्रावधानों के तहत की जायेगी।

6. **अर्हता।**–

(1) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय"। उम्र की गणना के लिए विज्ञापन वर्ष की 01ली अगस्त कट-ऑफ-डेट होगी।

(2) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।

7. **परिवीक्षा।**–आयोग के अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

8. **प्रशिक्षण।**–

(1) आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त सरकारी सेवक को परिवीक्षा अवधि में सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(2) प्रशिक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(3) संवर्ग के कर्मियों के लिए प्रवेशकालीन प्रशिक्षण का मापदंड बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग से निर्धारित किया जाएगा।

9. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।**-(1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा संचालित की जाएगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श से निर्धारित की जायेगी। विभागीय परीक्षा का आयोजन राजस्व पषर्द/बिपार्ड द्वारा किया जायेगा।

10. **सम्पुष्टि।**– परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करने, निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा उक्त अवधि की चारित्री संतोषप्रद होने के बाद सेवा सम्पुष्ट किया जाएगा।

11. **वरीयता।**– संवर्ग के मूलकोटि पर सीधी भर्ती से नियुक्त सदस्यों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा स्थिति एवं भर्ती वर्ष के अनुसार होगी। किसी पंचांग वर्ष में प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे, परंतु अनुकम्पा एवं मेधावी खिलाड़ी के आधार पर नियुक्त कर्मी सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों से कनीय होंगे, अनुकम्पा एवं मेधावी खिलाड़ी के आधार पर नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता की निर्धरण उनके योगदान की तिथि के आधार पर किया जायेगा और योगदान की तिथि समान होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।

परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व नियुक्त लेखापाल-सह-भंडारपाल/गृहपति-सह-लिपिक/बेंच क्लर्क संवर्ग के कर्मियों की परस्पर वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के परामर्श से समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।

12. **प्रोन्नति।**– संवर्ग के मूलकोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवधारित अन्य अपेक्षाएँ पूरा करने पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जा सकेगा।

सभी प्रोन्नतियों के लिए अभ्यर्थियों का ससमय विभाग/सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, परन्तु ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने की दशा में उनकी प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

13. **अवशिष्ट मामले।**–ऐसे मामलों जिनके संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं है; में संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रवृत्त प्रावधानों से शासित होंगे।

14. **कठिनाइयों का निराकरण।**–इस नियमावली के किसी प्रावधान के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर विभाग, विधि विभाग के परामर्श से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो।

15. **शिथिल करने की शक्ति।**- जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ, राज्य सरकार समुचित आदेश द्वारा, कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सदस्य या सदस्यों के समूह के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेंगी।

16. **निर्वचन।**–जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तब सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा किया गया निर्वचन अंतिम होगा।

17. **निरसन और व्यावृत्ति।–**

(i) बाल संरक्षण लेखापाल-सह-भंडारपाल (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014, बाल संरक्षण गृहपति-सह-लिपिक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 एवं बेंच क्लर्क संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जाएँगे।

(ii) पूर्व में नियुक्त लेखापाल-सह-भंडारपाल, गृहपति-सह-लिपिक एवं बेंच क्लर्क इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से लिपिकीय संवर्ग में अपने वेतनमान में समंजित/समाहित समझे जाएँगे।

(iii) परंतु ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व के नियमावली/संकल्प/आदेश/परिपत्र/स्पष्टीकरण आदि के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा लिया गया कोई निर्णय इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य अथवा लिया गया कोई निर्णय समझा जायेगा मानों उस दिन यह नियमावली प्रवृत्त थी, जिस दिन कोई वैसा कोई कार्य किया गया अथवा कोई निर्णय लिया गया था।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20/2/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/स्था0(मु0)-20/2024-........1157........ पटना, दिनांक-...25.2.2026...

प्रतिलिपि:-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

25/2/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/स्था0(मु0)-20/2024-........1157........ पटना, दिनांक-...25.2.2026...

प्रतिलिपि:-सदस्य, राजस्व पर्षद/ सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिपार्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/स्था0(मु0)-20/2024-........1157........ पटना, दिनांक-...25.2.2026...

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0द0नि0को0) विभाग, बिहार, पटन/ प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/ निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/ निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम, पटना/राज्य आयुक्त नि:शक्तता, राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय/उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना/ अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/2/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-10/स्था0(मु0)-20/2024-........1157........ पटना, दिनांक-...25.2.2026...

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/26

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

Government of Bihar
Department of Social Welfare
(Directorate of Social Welfare) 1157

-:: Notification ::-

Patna, Date-25-2-2026

File No.-10/Estb. (Hq.)-20/2024-/ In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following rules to regulate the recruitment and service conditions in the clerical cadre of the Directorate of Social Welfare and its subordinate offices under the control of the Social Welfare Department.

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These Rules may be called the Directorate of Social Welfare and its subordinate offices Clerical Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2026.

(2) These rules shall apply to the employees of the clerical cadre in the Directorate of Social Welfare and its subordinate offices under the Social Welfare Department of the State.

(3) These Rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. -** In these rules, unless otherwise required in the context,-
   (i) **"Cadre"** means the clerical cadre of the Directorate of Social Welfare and its subordinate offices under the control of the Social Welfare Department;
   (ii) **"State Government"** means the State Government of Bihar;
   (iii) **"Appointing Authority"** means the Director, Directorate of Social Welfare
   (iv) **"Cadre Controlling Authority"** means the Director, Directorate of Social Welfare;
   (v) **"Department"** means the Department of Social Welfare;
   (vi) **"Commission"** means the Bihar Staff Selection Commission;
   (vii) **"Due Date"** means the date on which these rules come into force;
   (viii) **"Direct recruitment"** means appointment on the basis of a competitive examination conducted by the Bihar Staff Selection Commission;
   (ix) **"Member"** means a person appointed and employed in the Office Clerk cadre;
   (x) **"Home"** means a Home run by the Government under the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and its relevant rules as amended from time to time and a Vrihad Shelter Home run under the Chief Minister Child Shelter Development Scheme.
   (xi) **"Year"** means the financial year i.e. from 1st April to 31st March of the following year.
   (xii) **"Central Examination Board"** means the Central Examination Board under the control of the Board of Revenue, Bihar for conducting and regulating the departmental examinations for Government servants appointed to various posts:
   (xiii) **"BIPARD"** means the Bihar Institute of Public Administration and Rural Development (BIPARD) functioning under the Bihar Institute of Public Administration and Rural Development (Organisation) Rules, 2005 notified by the General Administration Department:

3. **Constitution of the Service/Cadre. -** (1) This cadre shall be a State-level cadre under the administrative control of the Directorate of Social Welfare. This cadre shall consist of the following categories of posts:-

Sl. No.	Category Name	Level
1	Lower Class Clerk	Basic Grade (Non-Gazetted)
2	Upper Division Clerks	First Level of Promotion (Non-Gazetted)
3	Head Clerk	Second Promotion Level (Non-Gazetted)
4	Assistant Administrative Officer	Third Promotion Level (Non-Gazetted)

(2) The pay scale and sanctioned strength of these posts shall be the same as approved by the State Government from time to time.

(3) The persons who were regularly appointed and working in the above categories before the implementation of these rules shall automatically be deemed to be included in the equivalent post in this cadre.

(4) The employees working on the posts of Accountant-cum-Storekeeper, House Master-cum-Clerk and Bench Clerk before the appointed date shall be deemed to be automatically adjusted/absorbed on the posts of equivalent pay scale in the clerical cadre on the appointed date.

4. **Reservation.-** In appointments/promotions to the service and cadre, it will be necessary to adhere to the reservation/roster as notified by the State Government from time to time.

5. **Source of appointment.-**

I. 85% (Eighty Five percent) of the authorized strength of the basic category (Lower Division Clerk) of the cadre shall be filled by direct recruitment and such recruitment shall be made on the basis of the recommendation of the Commission based on the written examination.

II. The Appointing Authority shall calculate the vacancies on 1st April every year and send the category wise reservation requisition to the Commission by 30th April.

III. The Commission will advertise the vacancies and select successful candidates on the basis of competitive examination and recommend the names of the candidates in order of merit and reservation category wise to the appointing authority.

IV. Contractual employees employed on the post of Lower Division Clerk will be given relaxation in the preference of marks and maximum age limit as per the guidelines of the General Administration Department in the regular appointment on the same post in this cadre;

V. Appointments may be made on compassionate grounds against vacant positions available for direct recruitment. After the appointment of dependents of government servants who died in service, requisitions for the remaining vacancies for each calendar year will be sent to the Commission by December of that calendar year.

VI. 15% (Fifteen percent) of the total created posts will be filled by the Appointing Authority on the recommendation of the Departmental Promotion Committee by proportional from Intermediate passed Office Attendant (Special) (Group-D) working in the regular establishment of the Directorate of Social Welfare on the basis of seniority cum merit.

However, the Lower Division Clerks promoted in this manner will not be entitled to the next increment after their promotion and first increment until they pass the Computer Proficiency Test and the Hindi Noting and Drafting Examination. After passing these examinations, their service as Lower Division Clerks will be confirmed.

VII. Up to 10% (ten percent) of the authorized strength will be filled by outstanding national level sportspersons from the State of Bihar. Appointment of outstanding national level sportspersons will be made under the provisions contained in the "Bihar Outstanding Sportspersons Recruitment Rules" of the General Administration Department.

6. **Qualification. -**

(1) The minimum age for recruitment shall be 18 years and the maximum age shall be as determined by the State Government (General Administration Department) from time to time. The cut-off date for calculating age shall be 1st August of the advertisement year.

(2) Minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) pass or equivalent with knowledge of computer operation and computer typing.

7. **Probation.-** Government servants appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission shall be on probation for one year. If the service during the probation period is not satisfactory, it may be extended for one further year. If the service during the extended period is not satisfactory, the service may be terminated.

8. **Training.-**

1. A Government servant appointed to the Service on the recommendation of the Commission shall undergo such induction training as may be prescribed by the Government during the period of probation.
2. During the training period, the concerned Government servant will also have to pass such examination as may be prescribed by the training institute.
3. The criteria for induction training for the personnel of the cadre will be determined separately in coordination with BIPARD.

9. **Departmental Examination and Syllabus.-** (1) The departmental examination shall be conducted by the Revenue Board, Bihar. The subjects, syllabus, and procedure for the departmental examination shall be determined by the Central Examination Committee, Revenue Board, in consultation with the Department. The departmental examination shall be conducted by the Revenue Board/BIPARD.

10. **Confirmation.-** The service will be confirmed after satisfactory service during the probation period, completion of the prescribed induction training, passing all the papers of the prescribed departmental examination and satisfactory character during the probation period.

11. **Seniority.-** The inter-se seniority of the members appointed by direct recruitment to the basic category of the cadre will be as per their merit position and year of recruitment as determined by the Commission. The personnel appointed by promotion in any calendar year will be senior to the personnel appointed by direct recruitment, but the personnel appointed on compassionate grounds and meritorious sportspersons will be junior to the personnel appointed by direct recruitment. The inter-se seniority of the personnel appointed on compassionate grounds and meritorious sportspersons will be determined on the basis of their date of joining and in case of the same date of joining, it will be done as per the provisions laid down by the General Administration Department.

    But, the inter-se seniority of the employees of Accountant-cum-Storekeeper/House Master-cum-Clerk/Bench Clerk cadre appointed before the coming into force of this regulation will be determined by the Social Welfare Department in consultation with the General Administration Department and the Law Department.

12. **Promotion.-** Promotion from the basic grade to a higher grade within the cadre may be granted on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, subject to fulfillment of seniority-cum-merit and other requirements determined by the General Administration Department. The Departmental Promotion Committee may be constituted by a separate order by the department.

    For all promotions, the candidates will have to undergo the training as decided by the department/competent authority in time, but in case the training is not conducted in time, their promotion will not be hindered.

13. **Residuary matters.-** In matters not specifically provided for in these rules, the members of the cadre shall be governed by the provisions applicable to officers/employees of equivalent level of the State Government.

14. **Removal of difficulties.-** If any difficulty arises in implementing any provision of these rules, the department may, in consultation with the Law Department, by general or special order, make such provision which is not inconsistent with the provisions of these rules and is necessary and expedient for removing the difficulty.

15. **Power to relax.-** Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, the State Government may, by appropriate order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any member or group of members.

16. **Interpretation.-** Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the interpretation given by the Department in consultation with the General Administration Department shall be final.

17. **Repeal and Savings.-**
    (i) All the resolutions and instructions issued earlier in relation to the Child Protection Accountant-cum-Storekeeper (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2014, Child Protection House Master-cum-Clerk (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2014 and Bench Clerk Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2014 shall be deemed to be repealed from the date of coming into force of these rules.
    (ii) The Accountant-cum-Store Keeper, House Master-cum-Clerk and Bench Clerk appointed earlier shall be deemed to be adjusted/incorporated in the Clerical Cadre in their pay scale from the date of coming into force of these Rules.
    (iii) But notwithstanding such repeal, anything done or any decision taken under the earlier rules/resolution/order/circular/clarification etc. shall be deemed to have been done or any decision taken under these rules as if these rules were in force on the day on which such thing was done or any decision was taken.

By order of the Governor of Bihar

25/2/26

Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.- 10/Estb. (Hq.)-20/2024-1157 Patna, Dated-25.2.2026

Copy to:- E-gazette cell, Finance Deptt., Government of Bihar,Patna with C.D. and hard Copy for Publication in Bihar Official Gazette.

25/2/26

Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.- 10/Estb. (Hq.)-20/2024-1157 Patna, Dated-25.2.2026

Copy to:- Member, Revenue Board/ All Departmental Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar, Patna/ Director General, BIPARD for information.

25/2/26

Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.- 10/Estb. (Hq.)-20/2024-1157 Patna, Dated-25.2.2026

Copy to:- Accountant General (A&E), Bihar, Patna/ Officer-in-Charge, Finance (Personal Claims Fixation Cell) Department, Bihar, Patna/ Managing Director, Women and Child Development Corporation/Director, ICDS Directorate/Director, Social Security Directorate/ Director, Social Welfare Directorate/Director, Empowerment of Persons with Disabilities Directorate/ Secretary, Bihar Child Rights Protection Commission, Patna/Chief Executive Officer, SAKSHAM, Patna/ State Commissioner for Disability, Office of the State Commissioner for Disability (Divyangjan)/ Vice-Chairman, State Child Protection Committee, Patna/Chairperson, Bihar State Women Commission/ All Divisional Commissioners, Bihar/All District Magistrates, Bihar/All Assistant Directors, District Child Protection Unit, Bihar for information and necessary action.

25/2/26

Additional Secretary,
Social Welfare Department.

Memo No.- 10/Estb. (Hq.)-20/2024-.......1157.......... Patna, Dated-..25-2-2026..........

Copy to:- Private Secretary to Hon'ble Minister/ Principal Private Secretary to Departmental Secretary/All departmental officers and departmental IT Manager (for uploading on departmental website) for information.

25/2/26

Additional Secretary,
Social Welfare Department.